

कार्यालय जिला न्यायालय, अल्मोड़ा

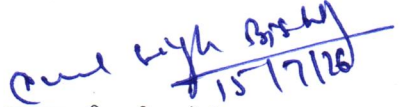
फोटो स्टेट दुकान संचालन हेतु निविदा सूचना

विषय:- जिला न्यायालय परिसर, अल्मोड़ा स्थित फोटो स्टेट दुकान के वर्ष 2026-2027 के शेष माहों के (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/फर्मों से सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

निविदा जारी होने की तिथि	—	08.07.2026
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	—	20.07.2026 समय 04:00 बजे सांय तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	—	23.07.2026 समय 04:00 बजे सांय तक
फोटो स्टेट दुकान हेतु न्यूनतम निविदा धनराशि-		रु0-18,144.00 (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027)
स्थान-		जिला न्यायालय अल्मोड़ा।

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय अल्मोड़ा स्थित फोटो स्टेट दुकान के वर्ष 2026-2027 के शेष माहों के (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/फर्मों से सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म उक्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित शर्तों की जानकारी उक्त दिनांक से पूर्व नजारत अनुभाग, जनापद न्यायालय अल्मोड़ा, न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट <https://almora.dcourts.gov.in> के टेंडर सैक्शन (Tender) में एवं नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला न्यायालय अल्मोड़ा में केन्द्रीय साध्यपाल को कार्यालय दूरभाष नं0-05962-230190 में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।


सदस्य नीलामी कमेटी/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला न्यायालय, अल्मोडा

फोटो स्टेट दुकान संचालन हेतु निविदा सूचना

विषय:- जिला न्यायालय परिसर, अल्मोडा स्थित फोटो स्टेट दुकान के वर्ष 2026-2027 के शेष माहों के (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/फर्मों से सीलबन्ध निविदाएं आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

निविदा जारी होने की तिथि -

निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि -

निविदा खोलने की तिथि व समय व स्थान -

फोटो स्टेट दुकान की निविदा हेतु नियम व शर्तें

1- पात्रता:-

निविदादाता के पास निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए जो कि निविदा के साथ जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(क) आधार कार्ड।

(ख) पैन कार्ड।

(ग) जीएसटी पंजीकरण।

2- निविदा की अन्य शर्तें:-

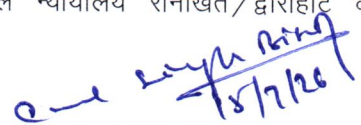
01. निविदादाता भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का फौजदारी/दीवानी मामला लम्बित नहीं होना चाहिए। निविदादाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन के किसी भी विभाग द्वारा वर्ज्य सूची (Black list) में नहीं डाला गया हो, जिसके सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा शपथ पत्र देना होगा।
02. फोटो स्टेट दुकान हेतु न्यूनतम निविदा धनराशि रु0-18,144.00 (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) है। निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले समस्त निविदादाताओं को बयाना राशि (EMD) के रूप में रु0-910.00 नगद नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय अल्मोडा में जमा करने होंगे, जो कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त असफल निविदादाताओं को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
03. सफल निविदादाता को अनुबन्ध अवधि तक धरोहर राशि के रूप में अन्तिम बोली का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। निश्चित तिथि तक धरोहर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त समझा जायेगा एवं उसकी बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।
04. सफल बोलीदाता द्वारा किराये की धनराशि त्रैमासिक अग्रिम माह की 10 तारीख तक जमा की जायेगी।
05. अपरिहार्य कारणों अथवा अवकाश की स्थिति में कार्यालय बन्द होने पर निविदा की प्रक्रिया अगले कार्यदिवस में सम्पन्न करायी जायेगी।
06. नीलामी समिति, जिला न्यायालय अल्मोडा को बिना कोई कारण बताये निविदा प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार होगा।
07. निविदा की शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में, नीलामी समिति, जिला न्यायालय अल्मोडा का निर्णय अन्तिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
08. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जिला न्यायालय अल्मोडा होगा।
09. सभी लागू कर, यदि कोई हों, स्वीकार्य दरों पर, सफल निविदादाता द्वारा भुगतान किए जाने होंगे।

10. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 11. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार जिला न्यायाधीश अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।
 12. निविदा की सम्पूर्ण कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के नियमानुसार की जाएगी।
- फोटोस्टेट दुकान संचालन हेतु नियम व शर्तें

1. आबंटित फोटो स्टेट दुकान का उपयोग केवल फोटोस्टेट, प्रिन्टिंग, स्कैनिंग एवं दस्तावेज सम्बन्धी सेवाओं के लिए किया जायेगा।
2. आबंटित फोटो स्टेट दुकान का उपयोग किसी अन्य व्यवसाय के लिए नहीं किया जायेगा।
3. चयनित निविदादाता को फोटोस्टेट मशीन, प्रिन्टर, स्कैनर, यूपीएस अथवा संचालन हेतु आवश्यक उपकरण स्वयं लाने होंगे।
4. मशीनों के रख-रखाव, मरम्मत एवं समय-समय पर सर्विसिंग चयनित निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
5. चयनित निविदादाता को इन्टरनेट की आवश्यकता होने पर इन्टरनेट कनेक्शन स्वयं का लगाना होगा।
6. आबंटित फोटो स्टेट दुकान किसी अन्य व्यक्ति को उप अनुबन्ध पर कदापि नहीं दिया जायेगा।
7. फोटोस्टेट व अन्य सेवाओं के लिए न्यायालय प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. आबंटित फोटो स्टेट दुकान की स्वच्छता, शान्ति एवं अनुशासन बनाए रखना आबंटि की जिम्मेदारी होगी।
9. आबंटि द्वारा फोटो स्टेट दुकान संचालन हेतु विद्युत संयोजन स्वयं लिया जायेगा।
10. न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का अवैध, अथवा न्यायालय की गरिमा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
11. चयनित व्यक्ति को न्यायालय प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. अनुबंध अवधि समाप्त होने पर स्थान स्वतः खाली करना होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण की अनुमति न दी जाए।
13. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार जिला न्यायाधीश अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।
14. नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर बिना किसी पूर्व सूचना के दुकान आबंटन निरस्त किया जा सकता है।
15. फोटो स्टेट दुकान संचालक द्वारा अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए।

पत्रांक- 839-अप्रत /2026/कैन्टीन व फोटो स्टेट निविदा/जि0न्या0 अल्मोड़ा दिनांकित 15 जुलाई, 2026

1. प्रतिलिपि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रतिलिपि जिला सूचना, अधिकारी को उपरोक्त नीलामी के स्थानीय समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने बावत्।
3. प्रतिलिपि केन्द्रीय साध्यपाल को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त निविदा सूचना के बृहद प्रचार-प्रसार हेतु शहर के सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं सुलभ सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट पर उक्त निविदा सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड मुख्यालय स्थित न्यायालय व सिविल न्यायालय रानीखेत/द्वाराहाट व भिकियासैण में चस्पा किये जाने हेतु


सदस्य नीलामी कमेटी/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

जिला न्यायालय परिसर अल्मोडा स्थित फोटो स्टेट दुकान के वर्ष 2026-2027 के शेष माहों (माह अगस्त, 2026 से माह मार्च, 2027) तक संचालन के लिए निविदा हेतु पात्रता प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	जानकारी	
1.	आवेदक का नाम		
2.	फर्म का नाम		
3.	पता (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किया जाय)		
4.	सम्पर्क विवरण	टेलीफोन/ मोबाइल नम्बर	
		ई-मेल आईडी	
5.	फर्म/एजेन्सी के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम		
6.	निविदा की धनराशि		
7.	अन्य विवरण (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	पैन नम्बर	
		जीएसटी पंजीकरण संख्या	

मैं..... एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि जिला न्यायालय परिसर अल्मोडा में स्थित फोटो स्टेट दुकान के वर्ष 2026-2027 के संचालन हेतु मेरे द्वारा दी गयी सम्पूर्ण जानकारी सत्य है तथा मेरे द्वारा निविदा में फोटो स्टेट दुकान के संचालन हेतु तय की गई नियम व शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया गया है तथा फोटो स्टेट दुकान के संचालन हेतु निविदा में दी गई सभी शर्तें मान्य हैं।

दिनांक-

स्थान:

नाम:

पिता का नाम:

हस्ताक्षर: